

आईएल एंड एफएस द्वारा हुई चूक और कतिपय कंपनियों की रेटिंग घट जाने के बाद वर्ष 2018-19 और 2019-20 की पहली छमाही में एनबीएफसी के समेकित तुलन-पत्र में विस्तार धीमी गति से हुआ। बैंक उधारियों की बढ़ती एनबीएफसी ऋण में वृद्धि जारी रही। यद्यपि जीएनपीए अनुपात में इजाफा देखने को मिला तथापि उनकी पूंजीगत स्थिति स्थिर रही। एचएफसी को ऋण वृद्धि में मंदी का सामना करना पड़ा और उसकी लाभप्रदता न के बराबर रही क्योंकि इस क्षेत्र में बाजार का विश्वास कम हो गया था। प्रणालीगत चलनिधि को बढ़ाकर और एचएफसी सहित एनबीएफसी के अभिशासन तथा जोखिम-प्रबंधन ढांचे को मजबूत करके रिजर्व बैंक और सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुदृढ़ ऋण वृद्धि के कारण एआईएफआई के समेकित तुलन-पत्र में विस्तार हुआ, और ऐसा विशेष रूप से नाबार्ड द्वारा ऋण सहायता में वृद्धि कर दिए जाने की वजह से हुआ।


1. परिचय

VI.1 भारत जैसे देश में जहां वित्तीय प्रणाली में बैंक का वर्चस्व है, वहां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई) विविध प्रकार के वित्तीय मध्यस्थों का एक ऐसा समूह है जो वाणिज्यिक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए एक वैकल्पिक माध्यम का काम करता है।

ऐसा कार्य¹ करने वाले विभिन्न संस्थाएं तथा रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाने वालों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), प्राथमिक व्यापारी (पीडी) और हाल ही में जुड़ी आवास वित्त कंपनियां² (एचएफसी) शामिल हैं (चार्ट VI.1)।

चार्ट VI.1: रिजर्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत एनबीएफआई की संरचना

(सितंबर 2019 के अंत में)



टिप्पणी : 1. डाटा अनंतिम है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें संस्थाओं की संख्या हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

¹ यद्यपि, व्यापारी बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक-ब्रोकिंग/सब-ब्रोकिंग का कारोबार करने वाली कंपनियां, जोखिम पूंजी निधि कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां एनबीएफसी हैं, तथापि उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत रिजर्व बैंक से निबंधन की अपेक्षा से छूट दी गई है।

² वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन करके आवास वित्त कंपनियों के विनियमन की कुछ शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान कर दी गई हैं। इसके बाद से विनियामकीय उद्देश्य से एचएफसी को एनबीएफसी की एक श्रेणी के रूप में माना जाएगा।

एआईएफआई शीर्ष वित्तीय संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना कृषि, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म उद्योगों एवं इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दीर्घावधि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विकास आयोजना अवधि के दौरान की गयी थी। एनबीएफसी सरकारी/सार्वजनिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिनकी विशेषज्ञता इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे अनेक प्रकार के विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने में होती है। पीडी वर्ष 1995 में अस्तित्व में आए और ये सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार निर्माता के रूप में काम करते हैं, इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का सब्सक्रिप्शन किया जाए। एचएफसी देश में आवास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों, सहकारी सोसाइटीज और कॉर्पोरेट निकायों तथा पट्टे पर दी गयी वाणिज्यिक एवं आवासीय परिसरों को आवास वित्त प्रदान करते हैं।

VI.2 इस अध्याय में वर्ष 2018-19 एवं अप्रैल-सितंबर 2019 में एनबीएफआई के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के बाकी के हिस्से को चार खंडों में बांटा गया है। खंड 2 दोनों प्रकार के एनबीएफसी क्षेत्रों जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) का सिंहावलोकन प्रदान करता है। इस खंड में एचएफसी की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। एआईएफआई के प्रदर्शन का आकलन खंड 3 में दिया गया है। खंड 4 में पीडी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। खंड 5 में निष्कर्ष के साथ-साथ कुछ नीतिगत परिदृश्यों पर भी प्रकाश डाला गया है।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

VI.3 एनबीएफसी को ए) उनकी आस्ति/देयता संरचना; बी) उनका प्रणालीगत महत्व; और सी) उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। देयता संरचना के मामले में, एनबीएफसी को दो उप-खंडों में विभाजित किया गया है जिनमें जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी, जो जनता की जमाराशियों को स्वीकार करते हैं तथा उसे रखते हैं और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले एनबीएफसी शामिल हैं, जो धनराशि जुटाने के लिए बाजार एवं बैंकों पर निर्भर रहते हैं।

वैसे एनबीएफसी-एनडी को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है जिनका आस्ति आकार ₹500 या उससे अधिक का है। सितंबर 2019 के अंत तक 82 एनबीएफसी-डी और 274 एनबीएफसी-एनडी-एसआई हैं जबकि मार्च 2019 के अंत में इनकी संख्या क्रमशः 88 एवं 263 थी।

VI.4 चूंकि एनबीएफसी विशिष्ट क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए उनका वर्गीकरण उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर भी किया जाता है। 21 फरवरी 2019 तक एनबीएफसी को 12 श्रेणियों में बांटा गया था। इसके बाद, एनबीएफसी को अत्यधिक परिचालनगत छूट प्रदान करने के लिए इन श्रेणियों को सुसंगत बनाया गया। परिणामस्वरूप, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) और निवेश कंपनियों को मिलकर एक नई श्रेणी बना दी गयी जिसे निवेश एवं ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) कहा गया। वर्तमान में, गतिविधि-आधारित वर्गीकरण में एनबीएफसी की 11 श्रेणियां हैं (सारणी VI.1)।

VI.5 विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिर्फ न्यूनतम ₹2 करोड़ की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) वाले एनबीएफसी को ही परिचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसा देखा गया कि वर्ष 2018-19 में रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण रद्द हुए हैं (चार्ट VI.2)। रिजर्व बैंक के पास निबंधित एनबीएफसी की संख्या मार्च 2019 के अंत तक 9856 थी जो सितंबर 2019 के अंत तक घटकर 9642 हो गयी।

2.1 स्वामित्व का स्वरूप

VI.6 एनबीएफसी क्षेत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वर्चस्व है, क्योंकि इस क्षेत्र के कुल आस्ति आकार में 86.3 प्रतिशत भागीदारी इनकी ही है। इस क्षेत्र के भीतर, कुल आस्तियों का लगभग दो बटे पांच भाग सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी (विशेषकर दो बड़े एनबीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा आरईसी लिमिटेड) के पास है (सारणी VI.2)।


VI.7 एनबीएफसी-डी के परिचालन एवं वृद्धि को सीमित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गयी रणनीति का ध्येय जमकर्ताओं के हित को सुरक्षित रखना है। इस बात के

सारणी VI.1: गतिविधियों के आधार पर एनबीएफसी का वर्गीकरण

एनबीएफसी के प्रकार	गतिविधि
1. निवेश एवं ऋण कंपनी आईसीसी	उधार एवं निवेश।
2. एनबीएफसी- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (एनबीएफसी- आईएफसी)	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋणों का प्रावधान।
3. एनबीएफसी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी (सीआईसी- एनडी- एसआई)	समूह कंपनियों में इक्विटी शेयर, अधिमान शेयर, कर्ज और ऋणों में निवेश।
4. एनबीएफसी- इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधि (आईडीएफ- एनबीएफसी)	इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में दीर्घकालिक कर्ज के प्रवाह को सुगम बनाना।
5. एनबीएफसी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी –एमएफआई)	आर्थिक रूप से वंचित समूहों को ऋण देना।
6. एनबीएफसी- फैंक्टर	समनुदेशक को प्राप्य राशियों का अधिग्रहण या प्राप्य राशियों के प्रतिभूतिहित पर ऋण देना।
7. एनबीएफसी- निष्क्रिय वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)	प्रमोटरों/ प्रमोटरों के समूहों को नए बैंक स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना।
8. बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी)	बंधक गारंटी का कारोबार करना।
9. एनबीएफसी- खाता समूहक (एनबीएफसी-एए)	ग्राहक की वित्तीय आस्तियों के बारे में समेकित, संगठित और पुनः प्राप्ति योग्य तरीके से जानकारी एकत्रित करना और ग्राहक या ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य को वह जानकारी प्रदान करना।
10. एनबीएफसी- समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी- पी 2 पी)	धन जुटाने में सहायता करने हेतु ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करना।
11. आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	आवास हेतु वित्तपोषण।

स्रोत : भा.रि.बैंक।

भी मद्देनजर यह कदम उठाया गया है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के द्वारा एनबीडीसी-डी की जराशियों को कवर नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य बना दिया है कि केवल निवेश श्रेणी वाले एनबीएफसी-डी ही जनता से अपने एनओएफ के 1.5 गुना तक की जमाराशि को स्वीकार करेंगे और यह सिर्फ 12 से 60 महीने की अवधि के लिए ही होगा, जिस पर 12.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर देय नहीं होगा।



VI.8 परिणामस्वरूप, एनबीएफसी-डी के पास मार्च 2019 के अंत तक एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्ति का केवल 13.7 प्रतिशत हिस्सा था और सभी एनबीएफसी-डी की आस्तियों का 89.7 प्रतिशत गैर-सरकारी कंपनियों के पास था। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी में सार्वजनिक गैर-सरकारी कंपनियां प्रमुख उप-समूह हैं (सारणी VI.2)।

2.2 तुलन-पत्र

VI.9 यद्यपि एनबीएफसी क्षेत्र का आकार वर्ष 2017-18 में ₹26.2 लाख करोड़ था जो 2018-19 में बढ़कर ₹30.9 लाख करोड़ हो गया, तथापि 2017-18 की तुलना में विस्तार की गति धीमी थी और इसकी प्रमुख वजह यह थी कि आईएल एंड एफएस घटना के बाद कुछ बड़े एनबीएफसी की रेटिंग घट गयी तथा उनमें चलनिधि का दबाव आ गया। यह मंदी मुख्य रूप से एनबीएफसी-एनडी-एसआई श्रेणी में देखी गयी थी, जबकि एनबीएफसी-डी ने मोटे तौर पर अपनी वृद्धि की गति को बरकरार रखा। हालांकि, ऋण संवृद्धि में आयी तेज मंदी की वजह से वर्ष 2019-20 (सितंबर तक) में एनबीएफसी-डी के साथ-साथ एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलन-पत्र आकार में संवृद्धि कमजोर हो गयी (सारणी VI.3, परिशिष्ट सारणी VI.1 और VI.2)।

सारणी VI.2: एनबीएफसी के स्वामित्व का स्वरूप
(मार्च 2019 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रकार	एनबीएफसी- एनडी- एसआई				एनबीएफसी- डी			
	कंपनियों की संख्या	आस्ति आकार	हिस्सेदारी प्रतिशत में		कंपनियों की संख्या	आस्ति आकार	हिस्सेदारी प्रतिशत में	
			संख्या	आस्ति आकार			संख्या	आस्ति आकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. सरकारी कंपनियां	29	10,59,336	10.7	39.8	8	43,358	9.8	10.3
बी. गैर- सरकारी कंपनियां (1+2)	234	16,04,252	89.3	60.2	80	3,78,534	90.2	89.7
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	120	12,03,189	46.0	45.2	78	2,83,900	87.8	67.3
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	114	4,01,063	43.4	15.1	2	94,634	2.4	22.4
कुल (ए+बी)	263	26,63,588	100.0	100.0	88	4,21,892	100.0	100.0

टिप्पणी : आंकड़ें अनंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।

VI.10 मार्च 2019 के अंत तक की स्थिति के अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई में इस खंड के कुल आस्ति आकार का 85.6 प्रतिशत हिस्सा आईसीसी और आईएफसी

का है। इस क्षेत्र में चलनिधि के दबाव के बावजूद, आईएफसी के आस्ति आकार में विस्तार हुआ था। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं या एनबीएफसी-एमएफआई के तुलन-पत्र में भी उनके ऋणों

सारणी VI.3: एनबीएफसी का संक्षिप्त तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दें	मार्च 2018 के अंत में			मार्च 2019 के अंत में			सितंबर 2019 के अंत में		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी- एनडी- एसआई	एनबीएफसी - डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी- एनडी- एसआई	एनबीएफसी - डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी- एनडी- एसआई	एनबीएफसी - डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधि	6,10,383 (21.6)	5,56,043 (20.6)	54,339 (32.4)	6,95,807 (14.0)	6,28,603 (13.0)	67,204 (23.7)	7,73,163 (21.7)	6,99,301 (21.5)	73,862 (24.2)
2. सार्वजनिक जमाराशियां	30,439 (-0.6)	0	30,439 (-0.6)	40,058 (31.6)	0	40,058 (31.6)	47,710 (40.3)	0	47,710 (40.3)
3. डिबेंचर्स	8,90,105 (33.1)	8,06,667 (33.9)	83,437 (25.5)	9,05,833 (1.8)	8,06,663 (0)	99,170 (18.9)	9,27,557 (7.7)	8,32,048 (7.6)	95,509 (8.4)
4. बैंक उधारियां	4,18,902 (33.4)	3,47,546 (37.4)	71,356 (16.7)	6,07,037 (44.9)	5,00,803 (44.1)	1,06,235 (48.9)	6,30,786 (21.2)	5,13,205 (21.9)	1,17,581 (18.3)
5. वाणिज्यिक पत्र	1,47,742 (13.4)	1,29,569 (12.2)	18,173 (22.8)	1,54,469 (4.6)	1,36,357 (5.2)	18,112 (-0.3)	1,23,440 (-31.2)	1,04,477 (-30.6)	18,964 (-34.7)
6. अन्य	5,20,219 (24.5)	4,36,806 (22.2)	83,414 (37.8)	6,82,276 (31.2)	5,91,162 (35.3)	91,114 (9.2)	7,54,986 (16.8)	6,54,606 (17.2)	1,00,380 (14.4)
कुल देयताएं/ आस्तियां	26,17,790 (26.8)	22,76,631 (27.2)	3,41,159 (24.2)	30,85,480 (17.9)	26,63,588 (17.0)	4,21,892 (23.7)	32,57,642 (13.2)	28,03,637 (13.1)	4,54,006 (14.1)
1. ऋण एवं अग्रिम	19,62,459 (31.8)	16,53,217 (32.7)	3,09,242 (26.7)	22,76,600 (16.0)	18,97,527 (14.8)	3,79,072 (22.6)	23,54,211 (9.9)	19,49,198 (9.5)	4,05,013 (12.2)
2. निवेश	4,16,609 (21.2)	4,04,651 (22.2)	11,958 (-5.9)	5,12,443 (23.0)	4,88,550 (20.7)	23,893 (99.8)	5,87,685 (30.1)	5,62,943 (29.4)	24,742 (49.2)
3. नकदी एवं बैंक जमा शेष	76,182 (-7.4)	67,386 (-8.4)	8,796 (1.2)	98,776 (29.7)	88,984 (32.1)	9,792 (11.3)	1,13,156 (23.8)	1,01,150 (23.5)	12,006 (26.0)
4. अन्य चालू आस्तियां	1,30,457 (8.7)	1,21,023 (7.7)	9,433 (22.6)	1,53,842 (17.9)	1,46,310 (20.9)	7,532 (-20.2)	1,60,162 (2.6)	1,49,682 (1.9)	10,480 (13.6)
5. अन्य आस्तियां	32,084 (13.6)	30,354 (13.4)	1,729 (17.3)	43,820 (36.6)	42,216 (39.1)	1,603 (-7.3)	42,429 (18.5)	40,664 (18.1)	1,765 (28.2)

टिप्पणी : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में प्रदत्त आंकड़ें प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।

और अग्रिमों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को दिए ऋणों व अग्रिमों में मजबूत वृद्धि के कारण विस्तार हुआ। हालांकि, सीआईसी को छोड़कर एनबीएफसी की अन्य श्रेणियों के लिए 2018-19 के दौरान ऋण और अग्रिमों में वृद्धि सुस्त रही है (सारणी VI.4)।

VI.11 एनबीएफसी-डी में मुख्य रूप से एएफसी और एलसी शामिल हैं क्योंकि इनका विलय आईसीसी नामक एक नयी श्रेणी में हो गया। इन दोनों श्रेणियों में ऋण विस्तार में थोड़ी कमी होने से कुल आस्तियों में निवेश की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 2018-19 में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गयी। देयता पक्ष में देखें तो, वर्ष 2018-19 और 2019-20 (सितंबर

तक) में एलसी और एएफसी में जमा वृद्धि में तेजी देखी गई जिससे उनका संसाधन आधार बढ़ गया (सारणी VI.5)।

2.3 एनबीएफसी का क्षेत्रवार ऋण

VI.12 वर्ष 2018-19 में एनबीएफसी द्वारा दिया जाने वाला ऋण बढ़ता ही रहा। एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा मुहैया कराए जाने वाले ऋण का सबसे बड़ा लाभार्थी उद्योग है, इसके बाद खुदरा ऋण और सेवाएं हैं (चार्ट VI.3)। पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में नरमी आ गयी। हालांकि, खुदरा ऋण में संवृद्धि की गति जारी रही (सारणी VI.6 एवं परिशिष्ट सारणी VI.3)।

VI.13 एनबीएफसी के खुदरा पोर्टफोलियो में 40 फीसदी से अधिक ऋण वाहन और ऑटो से संबंधित हैं। समग्र मांग में कमी

सारणी VI.4: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की गतिविधियों के आधार पर देयताओं और आस्तियों के प्रमुख घटक

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी/देयता	मार्च 2018 के अंत में			मार्च 2019 के अंत में			सितंबर 2019 के अंत में			कुल देयताओं में प्रतिशत घट-बढ़	
	उधारियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	उधारियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	उधारियां	अन्य देयताएं	कुल देयताएं	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निवेश और-ऋण कंपनी	7,96,131	3,66,623	11,62,754	8,67,420	4,20,127	1,28,7547	8,99,660	4,36,934	13,36,594	22.3	10.7
कोर निवेश कंपनी	85,104	1,40,222	2,25,326	1,06,647	1,82,441	2,89,088	1,13,969	2,36,753	3,50,723	19.8	28.3
फैक्टरिंग- एनबीएफसी	1,828	1,969	3,797	2,087	2,087	4,174	1,906	2,074	3,981	37.7	9.9
आईडीएफ- एनबीएफसी	17,457	3,164	20,620	20,487	4,169	24,656	22,337	4,438	26,776	72.0	19.6
इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी	6,63,621	1,49,364	8,12,985	8,01,996	1,90,288	9,92,284	8,24,946	1,99,216	10,24,162	39.5	22.1
एनबीएफसी- एमएफआई	35,912	15,237	51,149	43,212	22,627	65,839	41,866	19,535	61,401	-4.0	28.7
कुल	16,00,053	6,76,578	22,76,631	18,41,850	8,21,739	26,63,588	19,04,685	8,98,951	28,03,637	27.2	17.0
श्रेणी/आस्तियां	मार्च 2018 के अंत में			मार्च 2019 के अंत में			सितंबर 2019 के अंत में			कुल आस्तियों में प्रतिशत घट-बढ़	
	ऋण और अग्रिम	अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां	ऋण और अग्रिम	अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां	2017-18	2018-19
निवेश और ऋण कंपनी	8,10,754	3,52,000	11,62,754	9,02,377	3,85,170	12,87,547	9,15,106	4,21,489	13,36,594	22.3	10.7
कोर निवेश कंपनी	22,601	2,02,725	2,25,326	29,333	2,59,755	2,89,088	36,498	3,14,225	3,50,723	19.8	28.3
फैक्टरिंग- एनबीएफसी	3,003	794	3,797	3,393	781	4,174	3,208	773	3,981	37.7	9.9
आईडीएफ- एनबीएफसी	15,175	5,445	20,620	18,843	5,813	24,656	20,364	6,412	26,776	72.0	19.6
इन्फ्रास्ट्रक्चर- वित्त कंपनी	7,60,240	52,745	8,12,985	8,91,659	1,00,625	9,92,284	9,25,588	98,575	10,24,162	39.5	22.1
एनबीएफसी- एमएफआई	41,444	9,705	51,149	51,923	13,917	65,839	48,435	12,966	61,401	-4.0	28.7
कुल	16,53,217	6,23,414	22,76,631	18,97,527	7,66,061	26,63,588	19,49,198	8,54,439	28,03,637	27.2	17.0

टिप्पणी : आंकड़ें अंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।

सारणी VI.5: एनबीएफसी-डी की गतिविधियों के आधार पर देयताओं और आस्तियों के प्रमुख घटक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	आस्तित्व कंपनियों			ऋण कंपनियों			कुल एनबीएफसी- डी		
	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	सितंबर 2019 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	सितंबर 2019 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	सितंबर 2019 के अंत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जमा राशियां	10,562	14,516	17,457	19,878	25,541	30,253	30,439	40,058	47,710
उधारियां	56,065	68,480	69,704	1,55,584	2,01,674	2,14,183	2,11,649	2,70,154	2,83,886
कुल देयताएं/ आस्तियां	86,983	1,06,081	1,11,581	2,54,177	3,15,810	3,42,425	3,41,159	4,21,892	4,54,006
ऋण एवं अग्रिम	77,431	93,862	96,050	2,31,811	2,85,211	3,08,963	3,09,242	3,79,072	4,05,013
निवेश	4,367	5,854	8,009	7,592	18,039	16,733	11,958	23,893	24,742

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।


होने के कारण वर्ष 2018-19 में ऑटो ऋण में मंदी आ गयी और बीएस-VI मानदंडों के लागू होने की प्रत्याशा में वाहन खरीद को स्थगित करने, यात्री वाहनों और दो पहिया वाहनों के मामले में बीमा लागत में तेज वृद्धि, और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनुमेय एक्सेल भार में अच्छी-खासी वृद्धि होने के कारण स्थिति और बिगड़ गयी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं वाले खंड में दिए जाने वाले ऋण में गिरावट देखी गई, जो दर्शाता है कि उपभोक्ता मांग न के बराबर थी। वर्ष 2018-19 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को दिए जाने वाले एनबीएफसी के ऋण में कमी आ गयी, जो इस

सारणी VI.6: एनबीएफसी द्वारा क्षेत्रवार ऋण का विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	सितंबर 2019 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़	
				2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
I. सकल अग्रिम	19,62,459	22,76,600	23,54,211	31.8	16.0
II. खाद्य ऋण	241	230	93	1856.9	-4.7
III. गैर- खाद्य ऋण	19,62,217	22,76,370	23,54,118	31.7	16.0
(1 to 5)					
1. कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	46,821	70,189	61,967	18.4	49.9
2. उद्योग	11,22,496	12,55,317	13,33,811	30.8	11.8
(2.1 से 2.4)					
2.1 सूक्ष्म एवं लघु	64,455	54,597	59,713	32.0	-15.3
2.2 मध्यम	28,311	22,979	19,981	62.7	-18.8
2.3 बड़े	5,46,041	6,32,795	6,37,698	29.2	15.9
2.4 अन्य	4,83,689	5,44,946	6,16,420	31.1	12.7
3. सेवाएं	3,16,872	3,67,167	3,42,481	35.9	15.9
जिसमें से					
3.1 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,25,178	1,48,501	1,29,359	30.1	18.6
3.2 खुदरा व्यापार	27,057	28,976	27,850	31.2	7.1
4. खुदरा ऋण	3,59,583	4,47,496	4,74,899	29.3	24.4
जिसमें से					
4.1 आवासीय ऋण	13,263	15,491	17,862	-16.4	16.8
4.2 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	8,626	5,094	4,917	59.7	-40.9
4.3 वाहन/ऑटो ऋण	1,64,471	1,99,926	2,08,527	31.3	21.6
5. अन्य गैर-खाद्य ऋण	1,16,445	1,36,201	1,40,959	44.2	17.0

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।



क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में विस्तार के बावजूद रियल एस्टेट क्षेत्र में आई मंदी के आलोक में उनके जोखिम विमुखता को दर्शाता है। दूसरी ओर, वर्ष 2018-19 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, और इसका आंशिक श्रेय सितंबर 2018 के नीतिगत उपाय को जाता है जिसके माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए सह-शुरुआत की गयी थी।

2.4 संसाधन जुटाना

VI.14 एनबीएफसी-एनडी-एसआई अपने संसाधन का लगभग 70 प्रतिशत बैंक उधारियों और डिबेंचर के माध्यम से जुटाते हैं। जैसे ही वर्ष 2018-19 में इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास कम हुआ और डिबेंचर के माध्यम से धन जुटाना महंगा हो गया, वैसे ही बैंक उधारी पर निर्भरता बढ़ गई। वास्तव में, वर्ष 2018-19 में डिबेंचर के निर्गमन का सिलसिला थम गया, जबकि बैंक उधारी काफी तीव्र गति से बढ़ी। वर्ष 2018-19 सीपी के शेयर

में मामूली गिरावट आई और सीपी के निर्गमन में भी कमी आयी थी (सारणी VI.7)। यह तब भी हुआ जब कुछ मौकों पर सीपी दरों में स्पष्ट रूप से बढ़त को छोड़कर आईएल एंड एफएस संकट के बाद की अवधि में एनबीएफसी की 3- महीने की सीपी दरों में गिरावट होती जा रही है (चार्ट VI.4)। कम उधारी लागत के बावजूद बेहतर आस्ति-देयता प्रबंधन हेतु मियादी उधारियों के लिए एनबीएफसी प्राथमिकता के कारण एनबीएफसी के लिए उधार के स्रोत के रूप में सीपी का आकर्षण कम हो गया।

VI.15 इस क्षेत्र में चलनिधि दबाव को कम करने और विश्वास को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं (बॉक्स VI.1)। निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित करने वाले समान्यीकृत जोखिम विमुखता के बीच, वर्ष 2018-19 में बैंक एनबीएफसी के लिए एक स्थिर वित्त पोषण विकल्प के रूप में उभरे थे। वर्ष 2019-20 (सितंबर तक) में, एक प्रमुख एचएफसी और एनबीएफसी द्वारा चूक किए जाने एवं उसकी रेटिंग कम हो जाने से एनबीएफसी को बैंक ऋण

सारणी VI.7 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के उधार के स्रोत


(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में	सितंबर 2018 के अंत में	प्रतिशत घट-बढ़	
				2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1. डिबेंचर	8,06,667 (50.4)	8,06,663 (43.8)	8,32,048 (43.7)	18.6	0.0
2. बैंक उधारियां	3,47,546 (21.7)	5,00,803 (27.2)	5,13,205 (26.9)	37.4	44.1
3. वित्तीय संस्थानों से उधारियां	28,589 (1.8)	35,629 (1.9)	33,608 (1.8)	7.6	24.6
4. अंतर- कॉर्पोरेट उधारियां	51,828 (3.2)	69,000 (3.7)	79,072 (4.2)	27.6	33.1
5. वाणिज्यिक पत्र	1,29,569 (8.1)	1,36,357 (7.4)	1,04,477 (5.5)	10.3	5.2
6. सरकार से उधारियां	1,170 (0.1)	15,445 (0.8)	15,297 (0.8)	-3.1	1219.9
7. अधीनस्थ कर्ज	35,493 (2.2)	45,459 (2.5)	46,115 (2.4)	6.1	28.1
8. अन्य उधारियां	1,99,190 (12.4)	2,32,493 (12.6)	2,80,864 (14.7)	24.1	16.7
9. कुल उधारियां	16,00,053 (100)	18,41,850 (100)	19,04,685 (100.0)	21.9	15.1

टिप्पणी : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल उधारियों में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।

स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।



देंने में कमी आ गयी। हालांकि, एनबीएफसी-एनडी-एसआई की कुल उधारियों में बैंक उधारियों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 24.7 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2019 के अंत तक बढ़कर 26.9 प्रतिशत हो गयी। (चार्ट VI.5)।

VI.16 बैंक जहाँ एक ओर एनबीएफसी को सीधे उधार देते हैं, वहीं वे एनबीएफसी द्वारा जारी डिबेंचर तथा सीपी में भी अभिदान करते हैं। तथापि, जोखिम विमुखता वाले वर्तमान परिदृश्य में 2018-19 में एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा जारी डिबेंचर तथा सीपी में बैंकों को दिए जाने वाले अभिदान में गिरावट आयी है। वर्ष 2019-20 (सितंबर तक) में बैंकों द्वारा दिए जाने वाला प्रत्यक्ष ऋण 21.9 प्रतिशत बढ़ गया (चार्ट VI.6)।

बॉक्स VI.1: एनबीएफसी क्षेत्र के लिए नीतिगत उपाय

एनबीएफसी, बैंकों तथा वित्तीय बाजारों अंतर-संबद्धता के जाल में फंसी हुई हैं। परिणामस्वरूप, एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आ जाने से उनके लिए चलनिधि जुटाना मुश्किल हो जाता है जिसका प्रभाव वित्तीय बाजारों पर भी पड़ता है। सितंबर 2018 में आए आईएल एंड एफएस घटना के उपरांत बाजार के रुझान, जोखिम के प्रति नजरिया और आस्ति-देयता असंगति में अचानक परिवर्तन दिखने लगे। बाजार में विश्वास फिर से कायम करते हुए स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए जो निम्नलिखित हैं :-

- वित्त बिल 2019 भारिबे अधिनियम, 1934 में संशोधन के ज़रिए रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करता है कि वह जमाकर्ताओं / लेनदारों के हितों की रक्षा कर सके तथा वित्तीय स्थिरता को कायम रख सके, एनबीएफसी के प्रशासन को सशक्त बनाने की। इस संशोधन से भारतीय रिजर्व बैंक को यह शक्ति मिली है कि वह एनबीएफसी के निदेशकों को हटा सके, उनके बोर्ड का अधिक्रमण कर सके और प्रशासन में सुधार के लिए नए प्रशासकों की नियुक्ति कर सके और जमाकर्ताओं / लेनदारों के हितों की रक्षा करे सके; विभिन्न अपेक्षाओं के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में उनपर अर्धदण्ड लगा सके; और एनबीएफसी का समाधान करने के लिए उनका समामेलन, पुनर्गठन कर सके या उन्हें विभिन्न इकाइयों अथवा संस्थाओं में विभक्त कर सके।
- जैसी कि बजट में की गयी घोषणा के अनुरूप, सरकार ने कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में संशोधन करते हुए एनबीएफसी तथा एचएफसी के लिए ऋणपत्र मोचन रिजर्व (डीआरआर) की अपेक्षा को हटा दिया है। सार्वजनिक निर्गम के ज़रिए बकाया डिबेंचर के मूल्य के

25 प्रतिशत के डीआरआर की अपेक्षा को हटा दिया गया है जो निधि जुटाने की लागत को कम करेगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बाजार को अधिक मजबूत करेगा।

- कोर निवेश कंपनियों के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिफारिश की है कि बोर्ड स्तर की समितियों के गठन, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सामूहिक जोखिम प्रबंधन समिति के गठन द्वारा अभिशासन को मजबूत करने के उपायों सहित किसी भी समूह में सीआईसी के स्तरों की संख्या को दो तक सीमित रखा जाना चाहिए।
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के अंतिम उपयोग पर मौजूदा प्रतिबंधों में ढील दी गयी और यह प्रावधान किया गया कि पात्र उधारकर्ता मान्यताप्राप्त ऋणदाताओं (भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ विदेशी सहायक संस्थाओं को छोड़कर) से अग्रलिखित प्रयोजनों के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गयी - (i) 10 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले कार्यशील पूंजी प्रयोजनों, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋणों और एनबीएफसी द्वारा आगे उधार देने (पूँजीगत व्यय के अतिरिक्त) के उद्देश्य से घरेलू रुपया ऋणों की अदायगी के लिए, (ii) पूँजीगत व्यय के उद्देश्य से लिए गए घरेलू रुपया ऋणों की अदायगी के लिए 7 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ऋण हेतु।
- बैंकों को अनुमति दी गयी कि भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत एचएफसी द्वारा जारी बॉन्डों पर आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) प्रदान की (जारी...)



जाएगी जिनकी अवधि तीन वर्ष से कम की न हो और ऐसे बॉन्ड से हुई प्राप्तियां एनबीएफसी-एनडी-एसआई/ एचएफसी के मौजूदा ऋणों की अदायगी के लिए उपयोग में लायी जाएँ।

- एनबीएफसी को उनकी पात्र आस्तियों के प्रतिभूतीकरण / समनुदेशन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने नव गठित एनबीएफसी के लिए, 5 वर्षों से अधिक की वास्तविक परिपक्वता वाले ऋणों के संबंध में, कुछ शर्तों के अधीन, न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की अपेक्षा में 31 दिसंबर 2019 तक ढील दी है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की पात्र आस्तियों के निर्माण के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के साथ मिलकर ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी जिससे जोखिम और प्रतिलाभ को साझा करने की सुविधा हो।
- आस्तित्व वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों, और निवेश कंपनियों का एक नई श्रेणी -एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी - में विलय कर दिया गया जिससे अनेक श्रेणियों की मौजूदगी से उत्पन्न होने वाली जटिलताएं कम हो गयीं और साथ ही, एनबीएफसी को उनके परिचालनों में अधिक सहूलियत हुई।
- मौजूदा विनियमनों के अधीन कॉर्पोरेट्स की ही तरह सीआईसी को छोड़कर एनबीएफसी के सभी निवेश से जुड़े जोखिम, सेबी के साथ पंजीकृत तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित होंगे; सीआईसी के निवेश से जुड़े जोखिम, दोनों रेटिंग तथा बिना रेटिंग वाले, का जोखिम-भार 100 प्रतिशत बना रहेगा।
- बड़े एनबीएफसी जिनकी आस्तियों का आकार ₹5000 करोड़ से बड़ा है, उन्हें जोखिमों की पहचान, आकलन और न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने सहित स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व वाले, कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करनी थी।
- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित एनबीएफसी के आस्तित्व-देयता प्रबंधन (एएलएम) ढांचे के मानक को और ऊंचा करने के लिए रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देश चलनिधि जोखिम निगरानी के उपायों, जिनमें दबाव परीक्षण और निधि का विविधीकरण शामिल है, के अभिग्रहण सहित अधिक स्पष्ट परिपक्वता बकेट और सहनशक्ति की सीमा प्रदान करते हैं। इस ढांचे के अनुसार 1 दिसंबर 2020 को ₹10,000 करोड़ और उससे अधिक बड़े आस्तित्व आकार वाले जमा प्राप्त करने वाले सभी एनबीएफसी और गैर-जमा प्राप्ति वाले सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के लिए 50 प्रतिशत और ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक पर ₹10,000 करोड़ से कम आस्तित्व आकार वाले सभी एनबीएफसी-एनडी के लिए 30 प्रतिशत वाले चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अनुसार चलनिधि बफर तैयार रखने की आवश्यकता है जो 1 दिसंबर 2024 को 100 प्रतिशत तक पहुँच जाए।

- सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई को निर्देश दिया गया था कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए भारत सरकार द्वारा 02 नवंबर 2018 को घोषित ब्याज अनुदान योजना में उल्लेख किए गए अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें, जिसमें सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को नए या वृद्धिशील ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा (यह योजना 2018-19 और 2019-20 में जारी रहेगी और ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं में ब्याज अनुदान के सही प्रवाह के लिए सिडबी नोडल एजेंसी के रूप में नामित होगी)। जनवरी 2019 में उन एमएसएमई को मौजूदा ऋण जो कि अशोध्य थे, परन्तु 1 जनवरी 2019 को 'मानक' थे उनके आस्तित्व वर्गीकरण में गिरावट किए बिना एक बार पुनर्चना की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- एनबीएफसी-एनडी-एसआई, आईसीसी की श्रेणी में, प्राधिकृत डीलर संवर्ग II का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र रहेंगे।
- सरकार के स्वामित्व वाली सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी को 2018-19 से प्रारंभ होने वाले निरीक्षण चक्र में भारतीय रिजर्व बैंक के ऑन-साइट निरीक्षण फ्रेमवर्क और ऑफ-साइट निगरानी के तहत रखा गया है।
- एनबीएफसी-डी के लिए लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत ₹100 करोड़ और उससे अधिक आस्तित्व आकार वाली तथा ग्राहक इंटरफेस वाली पात्र एनबीएफसी-एनडी को भी लाया गया है।
- एनबीएफसी और एचएफसी को, 5 जुलाई 2019 के अनुसार एनडीएफसी और एचएफसी पर बकाया ऋण के ऊपर और उससे अधिक दिए गए, वृद्धिशील ऋणों के लिए, क्रमशः 1 अगस्त और 1 दिसंबर 2019 को निर्धारित बैंक के एनडीटीएल में 0.5 प्रतिशत के चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से वृद्धि की थी।

बजट में घोषित अन्य उपाय

- भारत सरकार ने 10 प्रतिशत तक की पहली हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी/ एचएफसी से ₹1 लाख करोड़ तक की राशि तक उच्च दर वाली पूलड आस्तियों की खरीद के लिए एकमुश्त आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करने की योजना शुरू की है।
- एफआईआई/ एफपीआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जानी थी जिन्हें निर्धारित लॉक-इन अवधि के भीतर किसी आंतरिक निवेशक को अंतरित/ बेचा जाना अपेक्षित था।
- ऐसी एनबीएफसी, जो एनबीएफसी- फेक्टर के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें फेक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन द्वारा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। सभी एनबीएफसी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर सीधे हिस्सा लेंगी।
- अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के ब्याज पर कर उसी वर्ष के लिए प्रभारित किया जाएगा जिसके लिए वह ब्याज एनबीएफसी-एनडी-एसआई को प्राप्त हुआ है।




2.5 एनबीएफसी-डी: जमाराशियाँ

VI.17 वर्ष 2018-19 में एनबीएफसी द्वारा जमाराशि जुटाने में 31.6 प्रतिशत की मजबूत गति से प्रगति हुई हालांकि जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कंपनियों की संख्या में कमी आयी है और वे 2017-18 में 168 से कम होकर 2018-19 में 88 गयीं और 2019-20 में (सितंबर तक) 82 रह गयी हैं (चार्ट VI.7)।

2.6 एनबीएफसी का वित्तीय निष्पादन

VI.18 एनबीएफसी-एनडी-एसआई खंड में आई कमी के कारण वर्ष 2018-19 में एनबीएफसी की लाभप्रदता में हास हुआ। उनके

परिचालन व्यय और ब्याज भुगतान तेजी से बढ़े, जोकि उनके आय-लागत के बढ़े हुए अनुपात से परिलक्षित होता है। आय में वृद्धि से ज्यादा व्यय में वृद्धि हो जाने से निवल लाभ स्थिर रहे। दूसरी ओर निधि-आधारित आय बढ़ने के साथ-साथ परिचालन व्यय में पर्याप्त कमी के कारण वर्ष 2018-19 में एनबीएफसी-डी के लाभ में काफी बढ़ोतरी हुई। (सारणी VI.8, परिशिष्ट VI.4 और VI.5)।



सारणी VI.8: एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय मापदंड

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18			2018-19			छमा.1: 2019-20		
	एनबीएफसी	एनबीएफसी- एनडी-एसआई	एनबीएफसी- डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी- एनडी-एसआई	एनबीएफसी- डी	एनबीएफसी	एनबीएफसी- एनडी-एसआई	एनबीएफसी- डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. आय	3,00,262 (20.1)	2,52,583 (20.2)	47,679 (19.5)	3,36,842 (12.2)	2,75,365 (9.0)	61,478 (28.9)	1,90,387 (11.1)	1,55,819 (9.6)	34,569 (18.8)
बी. व्यय	2,40,222 (20.6)	2,03,129 (21.7)	37,092 (14.8)	2,68,968 (12.0)	2,24,288 (10.4)	44,680 (20.5)	1,52,380 (11.8)	1,26,536 (10.0)	25,844 (21.8)
सी. निवल लाभ	41,989 (29.8)	35,023 (28.0)	6,966 (39.4)	46,265 (10.2)	35,035 (0.0)	11,230 (61.2)	26,539 (7.1)	20,394 (4.1)	6,145 (18.4)
डी. कुल आस्तियां	26,17,790 (19.7)	22,76,631 (19.0)	3,41,159 (24.2)	30,85,480 (17.9)	26,63,588 (17.0)	4,21,892 (23.7)	32,57,642 (13.2)	28,03,637 (13.1)	4,54,006 (14.1)
ई. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)									
(i) आय	11.5	11.1	14.0	10.9	10.3	14.6	5.8	5.6	7.6
(ii) व्यय	9.2	8.9	10.9	8.7	8.4	10.6	4.7	4.5	5.7
(iii) निवल लाभ	1.6	1.5	2.0	1.5	1.3	2.7	0.8	0.7	1.4
एफ. आय लागत अनुपात (प्रतिशत)	80.0	80.4	77.8	79.8	81.5	72.7	80.0	81.2	74.8

टिप्पणी : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं।

2. कोष्ठकों के आंकड़ें प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।


2.7 लाभप्रदता



VI.19 एनबीएफसी के लाभप्रदता संकेतक - आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए), इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वर्ष 2018-19 में घट गए, जो इस क्षेत्र में दबाव को परिलक्षित करते हैं (चार्ट VI.8)। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के कारण लगभग सभी श्रेणियों की लाभप्रदता में सकल रूप से कमी आई। एनबीएफसी-एमएफआई की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है (चार्ट VI.9)। हालांकि, अन्य व्ययों में हुई कमी के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितंबर 2019 तक एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लाभप्रदता संकेतकों में सुधार हुआ है।

VI.20 कारोबार में मजबूत संवृद्धि के कारण एनबीएफसी-डी के आरओए तथा आरओई में सुधार हुआ। उनके एनआईएम में भी सुधार हुआ है जो व्यय के मुकाबले ब्याज से हाने वाली आय में अधिक विस्तार को दर्शाता है (चार्ट VI.10)। वर्ष 2019-20 में अब तक (सितंबर तक) एनबीएफसी-डी के लाभप्रदता संकेतकों ने समग्र सुधार दिखाया है।

2.8 आस्ति गुणवत्ता

VI.21 वर्ष 2018-19 में, एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गयी। जहां सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात में वृद्धि हुई, वहीं निवल अनर्जक आस्तियों (एनएनपीए) का अनुपात मामूली रूप से बढ़ गया जो







पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है (चार्ट VI.10)। वर्ष 2019-20 (सितंबर तक) में जीएनपीए अनुपात में मामूली वृद्धि के साथ इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता खराब हो गई।


VI.22 वर्ष 2018-19 में आस्ति संरचना के मामले में कुछ मानक आस्तियों के अवमानक श्रेणी में आ जाने के कारण मानक आस्तियों की हिस्सेदारी घट गयी। वर्ष 2019-20 की पहली

छमाही में जहां अवमानक आस्तियों का अनुपात यथावत रहा, वहीं समीक्षाधीन अवधि में संदिग्ध आस्तियों के अनुपात में वृद्धि देखी गयी (चार्ट VI.12)।

VI.23 वर्ष 2018-19 में एनबीएफसी-एनडी- एसआई का जीएनपीए अनुपात सभी श्रेणियों में खराब हो गया था, केवल एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर जिसने जीएनपीए



चार्ट VI.13: एनबीएफसी-एनडी-एसआई के एनपीए (मार्च के अंत में)



टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. आईडीएफ- एनबीएफसी ने शून्य एनपीए की सूचना दी है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, भा.रि.बैंक।

अनुपात में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया था। लंबे समय से चल रहे ऋणों (एजिंग लोन) को बट्टे खाते में डाला जाना एनबीएफसी-एमएफआई के जीएनपीए अनुपात में सुधार का मुख्य कारण रहा (चार्ट VI.13ए)। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के एनएनपीए अनुपात में मामूली वृद्धि हुई जो विशेष रूप से एमएफआई और आईएफसी द्वारा पर्याप्त बफर बनाए रखने को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर, आईसीसी के एनएनपीए अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई (चार्ट VI.13बी)। वर्ष 2019-20 (सितंबर तक) में एनबीएफसी-एनडी-एसआई के जीएनपीए अनुपात में बढ़ोतरी रही, जबकि एनएनपीए अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ।

VI.24 दबावग्रस्त आस्ति अनुपात³ में गिरावट के बावजूद ऋण वृद्धि में आयी कमी से यह परिलक्षित हुआ कि एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर्याप्त संसाधन जुटाने में असमर्थ नहीं। हालांकि, सेवा क्षेत्र की बात करें तो, दबावग्रस्त आस्तियां बढ़ीं, जो रियल स्टेट क्षेत्र, जिसमें एनबीएफसी का एक्सपोजर उल्लेखनीय है, जिसने अंतर्निहित दबाव को दर्शाया (चार्ट VI.14)।


VI.25 एनबीएफसी-डी के मामले में, आस्तियों में हुई तीव्र वृद्धि से जीएनपीए में गिरावट आयी। वहीं दूसरी ओर, एनएनपीए

अनुपात में गिरावट दिखाई दी, जो अपर्याप्त प्रावधान की ओर इशारा करता है (चार्ट VI.15)।



2.9 पूंजी पर्याप्तता

VI.26 एनबीएफसी में पूंजी की स्थिति समान्यतः अच्छी होती है और प्रणाली स्तर पर इनका पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 15 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड से

चार्ट VI.14: एनबीएफसी-एनडी-एसआई : क्षेत्रवार दबावग्रस्त आस्तियां एवं ऋण वृद्धि



³ दबावग्रस्त आस्तियां = एनपीए+ पुनर्घटित ऋण




ऊपर बना रहता है, जो कि 2018-19 में भी बरकरार रहा जब इनमें गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि हो गयी थी (चार्ट VI.16)। सितंबर 2019 के अंत में, आस्ति गुणवत्ता में आयी गिरावट के बावजूद इस क्षेत्र में पूंजी का अपेक्षित स्तर बना रहा।

में सुधार हुआ। एनबीएफसी-डी के सीआरएआर में मामूली सुधार हुआ क्योंकि स्वाधिकृत निधियों में हुई वृद्धि ने ऋणों एवं अग्रिमों में हुई वृद्धि को पीछे छोड़ दिया (चार्ट VI.17 ए एवं बी)। सितंबर 2019 के अंत तक एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी का सीआरएआर विरोधाभासी प्रवृत्ति के बावजूद निर्धारित मानदंड से ऊपर रहा।

VI.27 एनबीएफसी-एमएफआई एवं आईडीएफ-एनबीएफसी को छोड़कर सभी श्रेणियों की एनबीएफसी-एनडी-एसआई के सीआरएआर में 2017-18 के स्तर से गिरावट आयी परंतु यह विनियामकीय मानदण्ड से ऊपर बना रहा। एनबीएफसी-एमएफआई के मामले में लाभप्रदता बढ़ने से सीआरएआर

2.10 संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर

VI.28 पूंजी बाजार, रियल स्टेट एवं पण्य बाजार को रिजर्व बैंक द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि



इन बाजारों में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो सकता है। मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019 के अंत में, रियल स्टेट एक्सपोजर कम होने के बावजूद एनबीएफसी के पूंजी बाजार एक्सपोजर में कमी आई थी। परिमाणस्वरूप, संवेदनशील क्षेत्र में समग्र एक्सपोजर में कमी दर्ज की गई (चार्ट VI.18)।

2.11 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी)

VI.29 आरएनबीसी का प्रमुख व्यवसाय जमाराशियां प्राप्त करना एवं रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों में उसका नियोजन करना है। वर्तमान में केवल एक ही आरएनबीसी है, जिसके द्वारा किसी भी नए जमाराशि को स्वीकार नहीं किया जा रहा है एवं सिर्फ पुरानी जमाराशियों की चुकौती का कार्य किया जा रहा है।



VI.30 सारांश में, जोखिम प्रतिकूल परिदृश्य में ऋण वृद्धि न के बराबर रहने के कारण एनबीएफसी क्षेत्र के तुलन पत्र की वृद्धि में 2018-19 में गिरावट आई। देयताओं की ओर से जहां बाजार उधारियों में कमी आ गयी, वहीं बैंक उधारियों द्वारा एनबीएफसी क्षेत्र को समर्थन जारी रहा। एनबीएफसी-डी द्वारा जमाराशि में इजाफा दिखा। एनबीएफसी-डी द्वारा जमा राशि में भी इजाफा

दिखा। एनबीएफसी नियामक मानक से ऊपर अच्छी तरह से पूंजीकृत बनी रही। एनबीएफसी, नियामक मानक की तुलना में सुदृढ़ रूप से पूंजीकृत बने रहें। एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर सभी एनबीएफसी-एनडी-सी श्रेणियों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई। जहां एनबीएफसी- एनडी- एसआई की लाभप्रदता में कमी आई, वहीं एनबीएफसी-डी की लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया गया।

2.12 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

VI.31 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) ऋण देने वाली विशेष संस्थाएं हैं, जो एससीबी के साथ-साथ आवास वित्त के मुख्य प्रदाता हैं। एनबीएफसी द्वारा चलनिधि के दबाव की वजह से सामना की जाने वाली समस्याओं के चलते एचएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण विकास में तेजी से गिरावट आई। दूसरी ओर, बैंक द्वारा आवास क्षेत्र में दिए जाने वाले बैंक ऋण में वृद्धि हुई एवं 2018-19 में इसमें मजबूत गति से वृद्धि हुई, को आंशिक रूप से एचएफसी ऋण (चार्ट VI. 19) की मंदी का कारण बना।

VI.32 मार्च 2019 के अंत में 99 एचएफसी थी, जिनमें से 18 जमाराशियां स्वीकार करने वाली संस्था थी। इस क्षेत्र में गैर-सरकारी स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का प्रबल



सारणी VI.9. एचएफसी के स्वामित्व का स्वरूप
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रकार	2018		2019	
	एचएफसी की संख्या	आस्तिक आकार	एचएफसी की संख्या	आस्तिक आकार
1	2	3	4	5
ए. सरकारी कंपनियां	1	48,930	1	72,839
बी. गैर-सरकारी कंपनियां (1+2)	90	11,10,837	98	12,72,300
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	72	11,09,324	78	12,69,634
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	18	1,513	20	2,667
कुल (ए+बी)	91	11,59,767	99	13,45,139

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 2019 में आस्तियों का आकार सिर्फ 96 एनबीएफसी से संबंधित है।
स्रोत : एनएचबी।

प्रभाव रहा, जिसका कुल आस्तियों में 94.4 प्रतिशत योगदान रहा एवं 2018-19 में इनमें 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। कुल आस्तियों में 5.4 प्रतिशत योगदान के साथ एकमात्र सरकारी आवास वित्त कंपनी में समान अवधि में 49 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई (चार्ट VI.9)।

2.12.1 तुलन पत्र

VI.33 एचएफसी के समेकित तुलन पत्र में ऋण एवं निवेश वृद्धि में अनुशोधन की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम होने के बावजूद 2018-19 में तर्कसंगत विस्तार दर्शाए गए हैं। देयताओं की ओर से बैंक उधारियों में मजबूत गति से वृद्धि आई है जबकि डिबेंचर एवं वाणिज्यिक पत्र जैसे बाजार लिखतों के माध्यम से उधारियों में गिरावट आई, जो बाजार विश्वास की गिरावट को दर्शाते हैं (सारणी VI.10 एवं चार्ट VI.20)।

2.12.2 एचएफसी की संसाधन प्रोफाइल

VI.34 एचएफसी के निधि के स्रोतों में सार्वजनिक जमाराशियां, बाह्य वाणिज्यिक उधारियां, वाणिज्यिक पत्र एवं एनएचबी द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता शामिल है, हालांकि ये मुख्य रूप से डिबेंचर एवं बैंक उधारियों पर आश्रित है (चार्ट VI.20)। घरेलू बाजारों के जोखिम प्रतिकूल बने रहने की वजह से एचएफसी की बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई।



सारणी VI. 10 एचएफसी का समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2017	2018	2019	प्रतिशत घट-बढ़	
				2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	9,352	30,548	34,360	226.6	12.5
2. आरक्षित निधि एवं अधिशेष	94,283	1,25,922	1,54,807	33.6	22.9
3. सार्वजनिक जमाराशियां*	1,12,099	1,21,886	1,07,389	8.7	-11.9
4. डिबेंचर	3,37,199	4,11,317	4,76,297	22.0	15.8
5. बैंक उधारियां	1,77,877	2,35,958	3,27,500	32.7	38.8
6. एनएचबी से उधारियां	22,732	28,870	28,287	27.0	-2.0
7. अंतर-कॉर्पोरेट उधारियां	2,008	4,013	35,627	99.9	787.8
8. वाणिज्यिक पत्र	68,587	98,324	80,646	43.4	-18.0
9. सरकार से उधारियां	-	-	-	-	-
10. गौण ऋण	16,279	20,200	18,595	24.1	-7.9
11. अन्य उधारियां	18,599	21,146	25,103	13.7	18.7
12. वर्तमान देयताएं	24,673	32,052	14,003	29.9	-56.3
13. प्रावधान	8,425	12,812	8,578	52.1	-33.0
14. अन्य**	17,101	18,410	40,397	7.7	119.4
15. कुल देयताएं / आस्तियां	9,09,215	11,61,459	13,51,590	27.7	16.4
16. ऋण एवं अग्रिम	7,37,461	9,45,149	11,91,727	28.2	26.1
17. किराया खरीद और पट्टे पर दी गई आस्तियां	2	4	0	121.5	-94.6
18. निवेश	55,151	73,877	90,406	34.0	22.4
19. नकद और बैंक शेष	22,729	19,578	34,376	-13.9	75.6
20. अन्य आस्तियां***	93,871	1,22,851	35,082	30.9	-71.4


* सारणी में दी गई सार्वजनिक जमाराशियों में एक प्रमुख एचएफसी की कॉर्पोरेट जमाराशि शामिल हैं।
** आस्थगित कर देनदारियां एवं अन्य देनदारियां शामिल हैं।
*** अचल आस्तियां, मूल व अमूर्त आस्तियां, अन्य आस्तियां एवं आस्थगित कर आस्तियां शामिल हैं।
टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं। रिपोर्टिंग कंपनियों के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आइएनडी एस पर आधारित।
2. 31-03-2018 तक 91 एचएफसी में से 84 द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई।
3. 31-03-2019 तक 99 एचएफसी में से 83 द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई।

VI.35 सार्वजनिक जमाराशियां एचएफसी के वित्तपोषण का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्ष 2018-19 में जमाराशि वृद्धि में तेजी आई (चार्ट VI.21); यद्यपि, 2014-15 से एचएफसी की कुल देयताओं में जमाराशियों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है। एचएफसी की जमाराशियों के वितरण दर्शाते हैं कि जमाराशियों का लगभग 95 प्रतिशत 6-9 प्रतिशत ब्याज दर ब्रैकेट पर केंद्रित है (चार्ट VI.22)। इसके अतिरिक्त, परिपक्वता-वार विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि जमकर्ताओं द्वारा वृहद रूप से 24 से 48 माह की



परिपक्वता अवधि को प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि 2018-19 में, इस स्लैब में जमा राशियों के संग्रहण में गिरावट

आई। 12-24 माह एवं 60 माह परिपक्वताओं में जमा राशि वृद्धि में तेजी आई।



2.12.3 वित्तीय निष्पादन

VI.36 एचएफसी के आय एवं व्यय में एक वर्ष पूर्व की तुलना में 2018-19 में तेज दर से वृद्धि हुई। यद्यपि, व्यय में अपेक्षाकृत रूप से तेज गति से वृद्धि हुई, जिससे निवल लाभ में पूर्ण रूप से गिरावट आई (चार्ट VI.23)। निधि आधारित आय में वृद्धि होने की वजह से कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में आय में वृद्धि हुई, जबकि उच्च वित्तीय एवं परिचालन व्ययों की वजह से व्यय में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, 2018-19 में एचएफसी के लागत-आय अनुपात में महत्वपूर्ण उछाल आया। इसी बीच, लाभ में गिरावट आने की वजह से आरओए की स्थिति और भी खराब हो गई (सारणी VI.11)।

2.12.4 सुदृढ़ता संकेतक

VI.37 जीएनपीए और एनएनपीए का अनुपात 2017-18 में बढ़ गया था। जहां जीएनपीए अनुपात 2018-19 में स्थिर हो गया, वहीं एनएनपीए अनुपात वर्ष के दौरान और बढ़ गया जो एचएफसी द्वारा प्रावधान में की गई कमी को दर्शाता है (चार्ट VI.24)। हालांकि अन्य एनबीएफसी की तुलना में एचएफसी ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है।



VI.38 संक्षेप में, वर्ष 2018-19 में चलनिधि के जिस दबाव का सामना एनबीएफसी ने किया उसकी चपेट में आवास वित्त क्षेत्र

सारणी VI.11: एचएफसी के वित्तीय अनुपात
(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)
(मार्च के अंत में)

विवरण	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
कुल आय	10.8	10.5	10.0	9.0	10.0
1. निधि आय	10.6	10.3	9.8	8.8	9.8
2. शुल्क आय	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
कुल व्यय	7.8	7.5	7.4	6.6	7.9
1. वित्तीय व्यय	7.1	6.8	6.4	5.7	6.4
2. परिचालन व्यय	0.7	0.7	0.9	1.0	1.5
कर प्रावधान	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
आय अनुपात की लागत	72.6	71.6	73.6	73.6	79.1
(कुल व्यय/ कुल आय)					
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	2.0	2.0	2.1	2.0	1.4
(पीएटी/कुल आस्तियां)					

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : एनएचबी।

भी आ गए, जिससे एचएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण में गिरावट आ गयी और उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगस्त 2019 के बाद से एचएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामकीय दायरे में ला दिया गया है जिसके बाद रिजर्व बैंक ने एक प्रमुख एचएफसी की अभिशासन संबंधी चिंता और उसके द्वारा भुगतान संबंधी किए गए चूक से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। इससे कंपनी पर आए दबाव का समाधान करने और निवेशकों का हित सुरक्षित करने में मदद मिली है।




3. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

VI.39 रिजर्व बैंक सभी चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) अर्थात् भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। 19 मार्च 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा एनएचबी में से अपनी पूर्ण शेरधारिता निकाल लेने के परिणामस्वरूप एनएचबी सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था बन गयी है (चार्ट VI.25)।

3.1 एआईएफआई के परिचालन⁴

VI.40 एआईएफआई द्वारा संस्वीकृत वित्तीय सहायता में 2018-19 के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2017-18 में सर्वाधिक 21.1 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 2018-19 में संवितरण वृद्धि दर में 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एक्विजम बैंक को छोड़कर, वर्ष के दौरान अन्य एआईएफआई द्वारा किए गए संवितरण में वृद्धि हुई है जिसमें पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत अपनी ऋण-व्यवस्था का परिवर्धन करके नाबार्ड ने सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी),



⁴ एक्विजम बैंक, सिडबी और नाबार्ड का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है और एनएचबी का जुलाई से जून है।

सारणी VI.12: एआईएफआई द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	2017-18		2018-19	
	एस	डी	एस	डी
1	2	3	4	5
1. सिडबी	59,452	75,386	59,046	76,011
2. नाबार्ड	2,00,847	2,23,754	3,03,870	2,81,947
3. एनएचबी	44,934	24,921	32,753	25,177
4. एक्विजम बैंक	97,826	68,535	38,001	36,660
कुल	4,03,059	3,92,595	4,33,670	4,19,795

एस-स्वीकृति डी-संवितरण
स्रोत: सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी एवं एक्विजम बैंक।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) और हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) के अंतर्गत भी संस्वीकृति प्रदान किया है और उसका संवितरण किया है (सारणी VI.12 और परिशिष्ट सारणी VI.6)।

3.2 तुलन-पत्र

VI.41 ऋण और अग्रिमों में सुदृढ़ विस्तार की बदौलत एआईएफआई का समेकित तुलन पत्र 2018-19 में तीव्र गति से बढ़ा (सारणी VI.13)। आस्तियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऋण और अग्रिमों की है ने उसके बाद निवेशों का स्थान आता है। देयता पक्ष पर नजर डालें तो ज्यादा से ज्यादा ऋण संवितरण और निवेश गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एआईएफआई की उधारियों पर निर्भरता बढ़ गई, जबकि बॉण्ड तथा डिबेंचर के जरिए उनकी उधारियों में कमी आ गयी। वर्ष 2017-18 में एक्विजम बैंक की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) में हास होने के कारण 2018-19 उसकी उधारियों में गिरावट आ गयी जिसके परिणामस्वरूप एनओएफ की तुलना में एक्विजम बैंक की समग्र उधारियां उच्चतम निर्धारित सीमा को पार कर गयी। 22 मार्च 2019 को सरकार द्वारा नई पूंजी अंतर्वेशन किए जाने से एक्विजम बैंक के एनओएफ में सुधार हुआ है।

VI.42 वर्ष 2018-19 में जुटाए गए कुल संसाधन का आधा हिस्सा एनएचबी द्वारा जुटाया गया था तथा उसके बाद नाबार्ड और सिडबी द्वारा जुटाया गया था, जबकि एक्विजम बैंक का हिस्सा उसमें न्यूनतम था। एआईएफआई अपनी गतिविधियों के

सारणी VI.13: एआईएफआई के तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2018	2019	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	19,921 (2.8)	26,921 (3.2)	35.1
2. आरक्षित निधि	51,076 (7.3)	57,042 (6.8)	11.7
3. बॉन्ड एंड डिबेंचर	1,85,011 (26.3)	2,09,059 (25.1)	13.0
4. जमाराशियां	2,91,301 (41.5)	3,36,914 (40.4)	15.7
5. उधारियां	1,00,547 (14.3)	1,49,319 (17.9)	48.5
6. अन्य देयताएं	54,447 (7.8)	54,300 (6.5)	-0.3
कुल देयताएं/ आस्तियां	7,02,302	8,33,554	18.7
आस्तियां			
1. नकद एवं बैंक शेष	23,740 (3.4)	23,437 (2.8)	-1.3
2. निवेश	49,529 (7.1)	61,256 (7.3)	23.7
3. ऋण एवं अग्रिम	6,09,741 (86.8)	7,29,226 (87.5)	19.6
4. अन्य आस्तियां	15,542 (2.2)	17,882 (2.1)	15.1

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल देयताएं/ आस्तियों का प्रतिशत हैं।

स्रोत : लेखापरीक्षित ओएसएमओएस विवरणियां।

वित्तपोषण के लिए मुख्य रूप से अल्पावधि निधियों पर निर्भर रहते हैं, विशेष रूप से एनएचबी जो कि अपने संसाधन का 97 प्रतिशत इसी माध्यम के द्वारा जुटाता है। हालांकि, नाबार्ड के मामले में, दीर्घावधि निधियों की तरफ उसका झुकाव स्पष्ट था, जबकि सिडबी की अल्पावधि निधियों पर निर्भरता बढ़ गई (सारणी VI.14)।

सारणी VI.14: वर्ष 2018-19 में एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्था	जुटाए गए कुल संसाधन				कुल बकाया
	दीर्घ- अवधि	अल्प- अवधि	विदेशी मुद्रा	कुल	
1	2	3	4	5	6
1. सिडबी	53,670	47,865	205	1,01,740	1,31,622
2. नाबार्ड	84,419	1,91,259	344	2,76,022	1,28,493
3. एनएचबी	13,487	5,37,138	905	5,51,530	63,500
4. एक्विजम बैंक	-	8,487	7,054	15,541	92,304
कुल	1,51,576	7,84,750	8,508	9,44,833	4,15,919

टिप्पणी : दीर्घ अवधि के रुपये वाले संसाधनों में बांड / डिबेंचर के माध्यम से हासिल की गई उधारियां शामिल हैं, जबकि अल्प अवधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमाएं, आईसीडी, सीडी और मीयादी मुद्रा बाजार से प्राप्त उधारियां शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांड आदि के द्वारा उधारियां शामिल हैं।

स्रोत : सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी और एक्विजम बैंक।

सारणी VI.15: मुद्रा बाजार से एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन (मार्च के अंत तक)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2017-18	2018-19
1	2	3
ए. कुल	1,17,049	1,36,577
i) सावधि जमाराशियां	3,931	5,420
ii) मीयादी मुद्रा	3,228	4,067
iii) अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां	7,850	7,431
iv) जमा प्रमाण-पत्र	18,448	32,436
v) वाणिज्यिक पत्र	83,593	69,363
<i>मेमो मद:</i>		
बी. संपूर्ण सीमा	66,925	1,03,887
सी. संपूर्ण सीमा का किया गया उपयोग*	175	131
(बी के प्रतिशत के रूप में ए)		

:- एनएचबी के लिए जून अंत तक। * :- श्रेणी ए के तहत जुटाए गए संसाधन।

टिप्पणी : एआईएफआई को कुल 'संपूर्ण सीमा' के भीतर संसाधनों को इकट्ठा करने की अनुमति है, जो कि अपने नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार संबंधित एफआई के निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण सीमा पांच लिखतों के लिए लागू होती है - सावधि जमाराशियां; मीयादी मुद्रा उधारियां; जमा प्रमाण-पत्र (सीडी); वाणिज्यिक पत्र (सीपी); और अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां।

स्रोत : सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी और एक्विजम बैंक।

VI.43 जमा प्रमाणपत्र, मीयादी जमा और मीयादी मुद्रा जैसे मुद्रा बाजार लिखतों के माध्यम से एआईएफआई द्वारा जुटाए गए संसाधन में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हो गयी। समस्त एआईएफआई में वाणिज्यिक पत्रों का निर्गमन कम हो गया। उधारी सीमा का भरपूर उपयोग किया गया (सारणी VI.15)। एआईएफआई द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन का लगभग 80 प्रतिशत नाबार्ड और सिडबी द्वारा जुटाया गया था।

3.3 निधियों के स्रोत और उपयोग

VI.44 पिछले वर्ष में जुटाए गए संसाधनों के दुगुने की तुलना में एआईएफआई द्वारा जुटाई गई निधि और उसका विनियोजन 2018-19 में 13.4 प्रतिशत तक बढ़ गया। पिछली उधारियों की 64.3 प्रतिशत चुकौती मुख्य रूप से आंतरिक स्रोतों से जुटाए गए संसाधनों के माध्यम से की गयी थी (सारणी VI.16)।

3.4 उधार लेने और देने की परिपक्वता एवं लागत

VI.45 नाबार्ड और सिडबी द्वारा जुटाए गए रुपए संसाधनों की भारित औसत लागत (डबल्यूएसी) 2018-19 में बढ़ गई,

सारणी VI.16: एआईएफआई के स्रोतों और निधियों के विनियोजन का स्वरूप


(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दें	2017-18	2018-19	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
ए. निधियों का स्रोत			
(i) आंतरिक	12,88,774 (38.2)	31,32,555 (82.0)	143.1
(ii) बाह्य	19,48,028 (57.8)	5,99,920 (15.7)	-69.2
(iii) अन्य*	1,32,572 (3.9)	87,930 (2.3)	-33.7
कुल (i+ii+iii)	33,69,374 (100)	38,20,405 (100)	13.4
बी. निधियों का विनियोजन			
(i) नवीन विनियोजन	6,85,147 (20.3)	7,77,016 (20.3)	13.4
(ii) पिछली उधारियों की चुकौती	20,98,207 (62.3)	24,58,210 (64.3)	17.2
(iii) अन्य विनियोजन	5,86,020 (17.4)	5,85,179 (15.3)	-0.1
जिसमें से: ब्याज भुगतान	32,248 (1.0)	42,007 (1.1)	30.3
कुल (i+ii+iii)	33,69,374 (100)	38,20,405 (100)	13.4

*: @ इसमें बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक में धारित नकद और जमाशेष शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोत: सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी और एक्विज बैंक।

जबकि अन्य दो वित्तीय संस्थाएं समान दर पर उधार लेने में सक्षम थे (चार्ट VI.26ए)। रुपए संसाधनों की भारत औसत परिपक्वता (डबल्यूएएम) एनएचबी को छोड़कर सभी संस्थाओं के लिए बढ़ गई (चार्ट VI.26 बी)। अतः एआईएफआई ने बढ़ती


चार्ट VI.27: चुनिंदा एआईएफआई की दीर्घवधि पीएलआर संरचना



हुई दीर्घवधि लागत के साथ अपनी औसत परिपक्वता अवधि को भी बढ़ा दिया।

VI.46 एक्विज बैंक और एनएचबी के लिए दीर्घवधि मूल उधार दर (पीएलआर) 2018-19 में मामूली रूप से बढ़ गयी और सिडबी के लिए वह कम हो गयी जो यह दर्शाता है कि मौद्रिक सहजता चक्र का लाभ पूर्ववर्ती संस्थाओं को नहीं मिला जिससे निधि की लागत में कमी नहीं हुई है (चार्ट VI.27)।

चार्ट VI.26: एआईएफआई द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारत औसत लागत एवं परिपक्वता



3.5 वित्तीय निष्पादन

VI.47 ब्याज आय में समुचित वृद्धि के फलस्वरूप एआईएफआई ने 2018-19 के दौरान आय में मजबूत वृद्धि दर्ज की। हालांकि, व्यय में तेजी से विस्तार हुआ और इसकी मुख्य वजह ब्याज व्यय है। मजदूरी बिल में कमी के कारण परिचालन व्यय कम हो गया और इसके परिणामस्वरूप, 2018-19 के दौरान एआईएफआई के निवल लाभ में मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी VI.17)। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में परिचालन लाभ को छोड़कर सभी वित्तीय अनुपात या तो बढ़ गए या अपरिवर्तित रहे (चार्ट VI.28)।

VI.48 ब्याज आय में वृद्धि के कारण 2018-19 के दौरान सभी एआईएफआई के लिए प्रति कर्मचारी निवल लाभ में वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि एक्विजिबैंक के लिए खास थी। सिडबी को छोड़कर, सभी एआईएफआई के परिचालन लाभ में सुधार हुआ, जो कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को दर्शाता है।

VI.49 सभी एआईएफआई के लिए 2018-19 में आस्ति पर प्रतिफल (आरओए) स्थिर या मध्यम रहा। केवल एक्विजिबैंक को छोड़कर, जिसने ऋणात्मक आरओए से पलटकर मामूली रूप से धनात्मक आरओए दर्ज किया। हालांकि, सभी एआईएफआई के लिए सीआरएआर 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से अधिक रहा (चार्ट VI.29)।

सारणी VI.17: एआईएफआई के वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)


मदें	2017-18	2018-19	प्रतिशत घट-बढ़	
			2017-18	2018-19
1	2	3	4	5
ए. आय	44,195	53,957	4.2	22.1
ए. ब्याज आय	42,988 (97.3)	52,699 (97.7)	5.1	22.6
बी. गैर-ब्याज आय	1,207 (2.7)	1,258 (2.3)	-19.6	4.2
बी. व्यय	34,468	42,109	6.3	22.2
a) ब्याज व्यय	31,646 (91.8)	39,321 (93.4)	6.2	24.3
b) परिचालन व्यय	2,822 (8.2)	2,789 (6.6)	7.3	-1.2
जिसमें से मजदूरी बिल	2,068	1,987	-22.2	-3.9
सी. कराधान हेतु प्रावधान	503	2,283	-62.4	354.2
डी. लाभ				
परिचालनगत लाभ (पीबीटी)	8,882	10,294	29.0	15.9
निवल लाभ (पीएटी)	2,752	6,683	-52.8	142.9

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।

स्रोत : लेखापरीक्षित ओएसएमओएस विवरणियां।

3.6 सुदृढ़ता संकेतक

VI.50 वर्ष 2018-19 के दौरान एआईएफआई के निवल एनपीए की कुल राशि के साथ-साथ उनके निवल एनपीए अनुपात में भी गिरावट आई। एक्विजिबैंक के एनपीए में पार्याप्त कमी आई परंतु सिडबी के एनपीए में मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट VI.30)। एक्विजिबैंक के निवल एनपीए में तीव्र गिरावट आंशिक रूप से उच्च प्रावधान को दर्शाता है।



सारणी VI.18: एआईएफआई के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (प्रतिशत)		गैर ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (प्रतिशत)		परिचालनगत लाभ/ औसत कार्यशील निधियां (प्रतिशत)		निवल लाभ प्रति कर्मचारी (₹ मिलियन में)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्विजम	7.2	7.8	0.5	0.3	1.7	1.9	-860	23
नाबार्ड	6.5	6.6	0.1	0.0	1.2	1.2	74	89
एनएचबी	7.1	7.1	0.1	0.4	2.0	2.6	648	672
सिडबी	6.9	6.9	0.5	0.3	2.2	1.8	126	176

स्रोत : सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी और एक्विजम बैंक।



VI.51 एआईएफआई की आस्ति गुणवत्ता में सुधार दिखा क्योंकि 2018-19 में अवमानक आस्तियों का कुछ भाग मानक आस्तियों में बदल गया, जबकि आस्तियों के कुछ हिस्सों में यह महसूस किया गया कि एनपीए की अवधि बढ़ी है क्योंकि अवमानक आस्तियां संदिग्ध श्रेणी में तबदील हुई हैं (चार्ट VI.31)। यह विशेष रूप से एक्विजम बैंक के लिए सही था, क्योंकि एआईएफआई की संदिग्ध आस्तियों में से 95 प्रतिशत इसी का था।


4 प्राथमिक व्यापारी

VI.52 30 सितंबर 2019 तक 21 प्राथमिक व्यापारी (पीडी) थे जिसमें से 14 बैंक विभागों के रूप में काम कर रहे थे और भारिबैं अधिनियम, 1934, की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत 7 एकल पीडी (एसपीडी) थे।

4.1 पीडी के परिचालन और प्रदर्शन

VI.53 पीडी को सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम में हामीदार बनने और प्राथमिक नीलामी में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। उनके लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे टी-बिल और नकदी प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी में न्यूनतम 40 प्रतिशत का सफलता अनुपात (बोली-प्रक्रिया प्रतिबद्धता के समानुपात के रूप में स्वीकृत बोली) हासिल करें जिसका छमाही आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में सभी पीडी ने अपनी न्यूनतम बोली-प्रक्रिया प्रतिबद्धता से बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष के दौरान कुल निर्गमित टी-बिल तथा सीएमबी में से 71.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी उनकी थी, जो पिछले वर्ष के 66.5 प्रतिशत की उपलब्धि से अधिक है।





वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में कुल निर्गमित टी-बिल तथा सीएमबी में से 73.2 प्रतिशत की भागीदारी हासिल की है। सरकार ने पिछले वर्ष की ₹5,88,000 करोड़ के निर्गम की तुलना में नीलामी द्वारा ₹5,71,000 करोड़ के अंकित मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की हैं। पीडी की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन के आबंटन की भागीदारी पिछले वर्ष के 53.7 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में घटकर 50.6 प्रतिशत हो गई है। 2019-20 की पहली छमाही में, ₹4,42,000 करोड़ के कुल निर्गमन के मुकाबले, पीडी को आबंटन 2018-19 की पहली छमाही के दौरान 46.9 प्रतिशत की तुलना में 44.8 प्रतिशत रहा (सारणी VI.19)।

VI.54 वर्ष 2017-18 के दौरान ₹10,297 करोड़ की राशि के तीन प्रकरणों के मुकाबले 2018-19 के दौरान सात प्रकरणों में ₹14,600 करोड़ की राशि का आंशिक अंतरण (डिवोल्वमेंट) हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान पीडी को भुगतान किया गया हामीदारी कमीशन पिछले वर्ष के ₹61.3 करोड़ की तुलना में 2018-19 में बहुत अधिक अर्थात् ₹139.9 करोड़ था, जिसका श्रेय वर्ष के दौरान उच्च अंतरण को जाता है। इसके परिणामस्वरूप 2018-19 में हामीदारी कमीशन की औसत दर

सारणी VI.19: प्राथमिक बाजार में पीडी का कार्यनिष्पादन


(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	छमा1: 2019-20
1	2	3	4
खजाना बिल एवं सीएमबी			
(ए) बोली लगाने की प्रतिबद्धता	10,13,580	9,99,551	6,00,229
(बी) लगाई गई वास्तविक बोलियां	49,35,246	37,32,398	21,18,241
(सी) अनुपात को कवर करने के लिए बोली	4.9	3.7	3.5
(डी) स्वीकारी गई बोलियां	5,77,232	6,70,849	3,79,138
(ई) सफलता अनुपात (डी)/(ए) (प्रतिशत में)	56.9	67.1	63.2
केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां			
(एफ) अधिसूचित राशि	5,88,000	5,71,000	4,42,000
(जी) लगाई गई वास्तविक बोली	13,96,471	12,60,201	9,16,590
(एच) अनुपात को कवर करने के लिए बोली	2.4	2.2	2.1
(आई) पीडी की स्वीकारी गई बोलियां	3,15,641	2,88,748	1,97,967
(जे) पीडी का हिस्सा (आई)/(एफ) (प्रतिशत में)	53.7	50.6	44.8

स्रोत : पीडी द्वारा फाईल की गई विवरणियां।

बढ़ गई (चार्ट VI.32)। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में समग्र अंतरण ₹3,606 करोड़ का हुआ। समान अवधि में पीडी को भुगतान की गई हामीदारी कमीशन की राशि ₹24.4 करोड़ थी, जो कि 0.55 पैसा/₹100 के हिसाब से है।

VI.55 द्वितीयक बाजार में सभी पीडी ने पृथक रूप से अपेक्षित न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर अनुपात (एकमुश्त और रेपो लेनदेन



दोनों में) हासिल कर लिया था। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए रेपो लेनदेन और एकमुश्त लेनदेन को मिलाकर न्यूनतम टर्नओवर लक्ष्य माह के अंत में धारित प्रतिभूतियों के औसत स्टॉक का 5 गुना निर्धारित किया गया है जिसमें से केवल एकमुश्त लेनदेन के जरिए प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम अनुपात 3 गुना है। टी बिल के लिए तत्संबंधी न्यूनतम अनुपात क्रमशः 10 गुना तथा 6 गुना हैं।

4.2 एकल पीडी का प्रदर्शन

VI.56 वर्ष 2018-19 में द्वितीयक बाज़ार में एसपीडी का टर्नओवर एकमुश्त खंड में घट गया जबकि रेपो खंड में बढ़ गया। बाज़ार रेपो कारोबार में एसपीडी की हिस्सेदारी में सुधार के कारण कुल बाज़ार में उनका शेयर आंशिक रूप से बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में द्वितीयक बाज़ार में एसपीडी की एकमुश्त और रेपो खंड में भागीदारी क्रमशः 15.0 तथा 24.0 प्रतिशत थी। दोनों खंडों में कुल बाज़ार भागीदारी 19.3 प्रतिशत थी (सारणी VI.20)।

सारणी VI.20: सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) द्वितीयक बाज़ार में एसपीडी के कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	2017-18	2018-19	छमा1:2019-20
1	2	3	4
एकमुश्त			
एसपीडी का टर्नओवर	37,34,289	27,74,591	22,09,109
मार्केट टर्नओवर	1,13,99,881	93,55,007	1,46,85,037
एसपीडी का शेयर (प्रतिशत)	32.8	29.7	15.0
रेपो			
एसपीडी का टर्नओवर	40,45,407	47,57,405	32,00,951
मार्केट टर्नओवर	1,27,80,289	1,35,66,142	1,33,47,579
एसपीडी का शेयर (प्रतिशत)	31.7	35.1	24.0
कुल (एकमुश्त+ रेपो)			
एसपीडी का टर्नओवर	77,79,696	75,31,996	54,10,060
मार्केट टर्नओवर	2,41,80,170	2,29,21,149	2,80,32,615
एसपीडी का शेयर (प्रतिशत)	32.2	32.9	19.3

टिप्पणी: 1. एकमुश्त के अंतर्गत कुल टर्नओवर खरीद और बिक्री का कुल है।
2. एकमुश्त और रेपो ट्रेड के संबंध में स्टैंडअलोन पीडी के लिए कुल टर्नओवर में दोनों पक्षों की मात्रा, अर्थात् खरीद + बिक्री शामिल हैं।
3. रेपो के मामले में, सिर्फ पहले चरण को एसपीडी का कुल टर्नओवर माना जाता है।
4. एकमुश्त और रेपो वॉल्यूम दोनों के लिए कुल मार्केट टर्नओवर में स्टैंडअलोन पीडी टर्नओवर शामिल हैं।

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड।

4.3 एसपीडी की निधियों के स्रोत और उसका नियोजन

VI.57 एसपीडी द्वारा जुटायी गयी निधियां 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर मामूली रूप से बढ़ी। एसपीडी की निधियों का मुख्य स्रोत उधारियां थी, जो निधियों के कुल स्रोतों का 89.7 प्रतिशत है। जहां असुरक्षित ऋणों की मात्रा आंशिक रूप से घट गई, वहीं सुरक्षित उधारी बढ़ गयी। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही की अवधि में भी निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में उधारियाँ ही रहीं जिसमें कुल निधीयन में 90 प्रतिशत हिस्सा इसी का है। इस अवधि के दौरान कुल उधारियों का प्रमुख घटक जमानती ऋण था।

VI.58 भारतीय समान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (आईजीएएपी) के स्थान पर भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) को अपनाए जाने के कारण एचटीएम में एसपीडी की धारिता 2018-19 में तेज़ी से घटी। एसपीडी निधि की सबसे बड़ी हिस्सेदारी चालू आस्तियों के रूप में धारित हैं जो वर्ष के दौरान बढ़ गयी (सारणी VI.21)।

सारणी VI.21: एसपीडी की निधियों के स्रोत और नियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	छमा.1: 2019-20	2017-18 की तुलना में 2018-19 में प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5
निधियों के स्रोत	47,870	55,133	68,155	15.2
1. पूंजी	1,447	1,609	1,609	11.2
2. आरक्षित और अधिशेष निधियां	3,673	4,052	4,679	10.3
3. ऋण (ए+बी)	42,749	49,472	61,867	15.7
(ए) प्रत्याभूत	31,581	38,696	49,108	22.5
(बी) गैर- प्रत्याभूत	11,169	10,776	12,759	-3.5
निधियों का नियोजन	47,870	55,133	68,155	15.2
1. अचल आस्तियां	31	30	46	-2.6
2. एचटीएम निवेश (ए+बी)	2,099	454	581	-78.4
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	2,091	447	444	-78.6
(बी) अन्य	7	7	136	0.0
3. चालू आस्तियां	46,835	55,608	68,418	18.7
4. ऋण और अग्रिम	848	640	2,619	-24.6
5. चालू देयताएं	1,934	1,601	3,522	-17.2
6. आस्थगित कर	-6.6	7.5	17.9	-214.1
7. अन्य	-1.5	-5.6	-4.7	270.9
स्रोत : पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।				

सारणी VI.22: एसपीडी के वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	2017-18	2018-19	छ मा.1: 2019-20	2017-18 की तुलना में 2018-19 में घट-बढ़	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
ए. आय (i से iii)	3,042	3,518	2,924	476	15.6
(i) ब्याज और छूट	2,966	3,799	2,282	833	28.1
(ii) ट्रेडिंग लाभ	-2	-344	619	-342	-
(iii) अन्य आय	78	63	24	-15	-19.2
बी. व्यय (I से iii)	2,590	3,402	1,898	812	31.4
(i) ब्याज	2,306	3,038	1,668	732	31.7
(ii) स्थापना और प्रशासनिक लागत सहित अन्य व्यय	285	363	230	78	27.4
सी. कर कटौती के पहले लाभ	452	444	874	-8	-1.8
डी. कर कटौती के बाद लाभ	292	304	667	12	4.1

टिप्पणी : पूर्णांकन की वजह से आंकड़ों को जोड़ा नहीं जा सकता है।
स्रोत : पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

4.4 एसपीडी के वित्तीय निष्पादन

VI.59 एक वर्ष पूर्व की तुलना में 2018-19 में एसपीडी के कर उपरांत लाभ (पीएटी) में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है (परिशिष्ट सारणी VI.7)। ट्रेजरी बिल तथा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता बढ़ जाने के कारण ब्याज और बढ़ा आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली, जबकि वर्ष के दौरान अस्थिर प्रतिफल वाले दौर में कारोबारी लाभ कम हो गए। कुल मिलकर, ब्याज व्यय के कारण व्यय आय से अधिक ही रहा। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान पीएटी बढ़कर ₹667 करोड़ हो गया (सारणी VI.22)।

VI.60 वर्ष 2018-19 में पीएटी में आंशिक वृद्धि के अनुरूप निवल मालियत पर एसपीडी के प्रतिफल में भी वृद्धि हुई।


सारणी VI.23: एसपीडी के वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

संकेतक	2017-18	2018-19	छमा.1: 2019-20	
1	2	3	4	
(i) निवल लाभ		292	304	667
(ii) औसत आस्तियां		48,206	54,487	67,686
(iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)		0.6	0.6	1.0
(iv) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)		5.7	5.8	12.3
(v) लागत- आय अनुपात (प्रतिशत)		37.7	75.7	18.3

स्रोत : पीडी द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

चार्ट VI.33: एसपीडी की पूंजी और जोखिम भारित आस्ति की स्थिति



हालांकि, कारोबारी लाभ में गिरावट से विगत वर्ष की तुलना में इन एसपीडी का लागत-आय तेज़ी से घटा है। मगर, वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान एसपीडी के लिए अनुकूल बाज़ार परिस्थितियों के कारण कारोबारी लाभ तेज़ी से बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप आय की तुलना में लागत अनुपात में सुधार हुआ (सारणी VI.23)।

VI.61 सभी एसपीडी के संयुक्त सीआरएआर 2018-19 में आंशिक रूप से कम हो गए हुए, परंतु सहज रूप से 15 प्रतिशत की अनिवार्यता ज्यादा ही रहे। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में एसपीडी की पूंजी बफर स्थिति में सुधार हुआ (चार्ट VI.33 एवं परिशिष्ट सारणी VI.8)।

5 समग्र आकलन

VI.62 यद्यपि एससीबी के तुलन पत्र का आकार एससीबी के आकार का 18.6 प्रतिशत है, तथापि यह भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में उभरा है। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें 2017-18 के दौरान तीव्र विस्तार हुआ था, परंतु आईएल एंड एफएस की घटना और कुछ कंपनियों द्वारा हाल में की गई चूक के पश्चात बाज़ार की धारणा नकारात्मक हो जाने के कारण 2018-19 और 2019-20 (सितंबर तक) उसके समक्ष विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। एनबीएफसी के क्षेत्र में

पुनः स्थिरता लाने के लिए रिज़र्व बैंक तथा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण चलनिधि के विस्तार के लिए, आस्ति-देयता प्रबंधन ढांचे के मानकों को मजबूत करने के लिए, ईसीबी दिशानिर्देशों में छूट प्रदान कर निधि के प्रवाह को सुगम बनाने और शासन व जोखिम प्रबंधन संरचना को सुदृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए थे। आंशिक ऋण गारंटी योजना के माध्यम से सरकार ने अतिरिक्त सहायता प्रदान की जिससे पीएसबी को एनबीएफसी की उच्च-दर वाली संयोजित आस्तियों (अर्जित आस्तियों) का अधिग्रहण करने के

लिए प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा, वित्त विधेयक 2019 के माध्यम से भारिबैं अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधन द्वारा रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी के अभिशासन को सशक्त बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गयी। निवेशकों की आशंकाओं को दूर करने और एनबीएफसी को अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाने में सहायता के लिए किए गए उपाय कारगर हैं। आगे चलकर, भारतीय रिज़र्व बैंक एनबीएफसी पर निरंतर निगरानी बनाए रखेगा और समग्र वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।